//1//

–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 39/2024

उनवान

मुकना पुत्र न्यामा फौत जरियें वारिसान
1/1. पप्पू पुत्र मुकना
1/2. नैना बानो
1/3 बीरी बानो
1/4. नैनी पुत्रियॉ मुकना
1/5. शकरूदीन पुत्र मुकना समस्त जाति मेहरात निवासी ग्राम भीमपुरा, नसीराबाद
——वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. बबलू
2. मेहरबान
3. हनीफ पि. ज्वाला समस्त जाति मेहरात निवासी ग्राम भीमपुरा, नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 3 अनुपस्थित, 4 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–   दिनांक :– 30/6/25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 1921 रकबा 0.34, 1922 रकबा 0.24 व 1923 रकबा 0.23 वादी की खातेदारी की है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा दिनांक 01.02.24 को आराजी मुतनाजा पर अवैध कब्जा करने के आशय से वादी को बेदखल करने की धमकी दी। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पांबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:27:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश कना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 1921 रकबा 0.34, 1922 रकबा 0.24 व 1923 रकबा 0.23 वादी की खातेदारी की है। प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वाद का खण्डन भी नही किया है। आराजी मुतनाजा वादी की खातेदारी की है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को उक्त आराजी पर कोई दखलदांजी करने का विधिक अधिकार नही है। वादी आराजी मुतनाजा का खातेदार होने के कारण प्रकरण बहक वादी सिद्व होता है। वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्त कने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 1921 रकबा 0.34, 1922 रकबा 0.24 व 1923 रकबा 0.23 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार की दखलदांजी व निर्माण नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:27:15 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मुकना बनाम बबलू

दावा बाबत :– 88, 188, 92अ राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 39/2024
पेश करने की दिनांक – 04.03.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 1921 रकबा 0.34, 1922 रकबा 0.24 व 1923 रकबा 0.23 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार की दखलदांजी व निर्माण नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 6 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:27:15 IST
Reason: SelfAttested